न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 157/2016 **दायरा दिनांक : 19.08.2016**

उनवान

1— जगन्नाथ पुत्र श्रीमती धूलीबाई, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— फूलचन्द पुत्र श्रीमती धूलीबाई, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— किशन लाल पुत्र श्रीमती धूलीबाई, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मीराबाई पुत्री आशाराम पत्नी चतरा लोधा, निवासी जतावा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— नोतीराम माता भंवरीबाई, जाति लोधा, निवासी गुराड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— सुरजी बाई माता भंवरी बाई, जाति लोधा, निवासी गुराड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— रोडू लाल माता भंवरी बाई, जाति लोधा, निवासी गुराड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5— पाना बाई पत्नी कन्हीराम, जाति लोधा, निवासी पून्याखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6— नन्दलाल आत्मज धन्ना लाल, जाति लोधा, निवासी ढ़ाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7— रामलाल आत्मज धन्ना लाल, जाति लोधा, निवासी ढ़ाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

8— रामकिशन आत्मज धन्ना लाल, जाति लोधा, निवासी ढ़ाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

9— बीरमचंद आत्मज धन्ना लाल, जाति लोधा, निवासी ढ़ाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

10— शांतिबाई पत्नी गिरधारी, जाति लोधा, निवासी गोरियाखेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

11— सी. बी. आई. बैंक शाखा मनोहरथाना

12— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री लाल चन्द पाटीदार अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.07.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 192/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ढ़ाबा, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या नयी 105 पुरानी 99 की खसरा नम्बर 56 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 139 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 188 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 393 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 521/394 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 578/453 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 581/303 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 17 किता की 20 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी में आशाराम का 1/2 हिस्सा है, जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था । आशाराम की तीन पुत्रियां भंवरी बाई, मीरा बाई और धूली बाई है । धूली बाई और भंवरी बाई फौत हो चुकी है । धूली बाई के वादीगण 1 लगायत 3 हैं तथा भंवरी बाई के प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 वारिस हैं । आशाराम का फौती इंतकाल दिनांक 02.02.1983 को खोला गया जिसमें धूलीबाई का नाम हटा दिया गया है । मीरा बाई और भंवरी बाई के नाम ही इंतकाल तस्दीक किया गया । धूलीबाई के वादीगण वारिस है, वादग्रस्त आराजी में उनकी माता का नाम भी दर्ज होना चाहिए था । आराजी में धूली बाई के वारिस होने के नाते वादीगण का 1/2 में 1/3 हिस्सा निहित है जिसके वे खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार

कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है और प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट धूली बाई के कानूनी वारिस हैं । गलत रूप से दावा खारिज किया गया है तथा गलत रूप से काउंटर क्लेम को स्वीकार किया है । दस्तावेजी साक्ष्य की सही तरीके से विवेचना नहीं की गई है, केवल कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अपीलांट धूली बाई के वारिस हैं और धूली बाई आशाराम की पुत्री है । इंतकाल गलत रूप से मीरा बाई और भंवरी बाई के पक्ष में खोला गया है । धूली बाई का नाम गलती से छोड़ा गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय की है । प्रतिवादीगण

वादग्रस्त आराजी के सदभावी क्रेता हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 के द्वारा जो काउंटर क्लेम पेश किया गया उसका अवलोकन किया गया । काउंटर क्लेम में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण की माता धूलीबाई प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 की माता माता भंवरी बाई, प्रतिवादी नम्बर 1 मीरा बाई ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 9 को बेचान कर कब्जा संभलाया है । वादीगण की माता धूली बाई के द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया है और वादीगण का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है ।

पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 121 सलंग्न है जिसके अनुसार 3 किता की 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी धूली बाई, भंवरी बाई पुत्री आशाराम, गेन्दी, धन्ना पुत्र गोपाल का नाम दर्ज है और एक अन्य खाते की आराजी में धूली बाई, भंवरी बाई, मीरा बाई पुत्री आशाराम हिस्सा 1/2 धन्ना पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज है और इसमें धूली बाई का नाम कम किये जाने की स्वीकृति देना अंकित किया गया है । पत्रावली पर सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में भंवरी बाई, मीरा बाई पुत्री आशाराम हिस्सा 1/2, नन्दलाल, रामलाल, रामकिशन, बीरमचंद पुत्र धन्ना, शांति बाई पुत्री धन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज है । आराजी कुल 17 किता की 20 बीघा 7 बिस्वा है । नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग वादग्रस्त आराजी कुल 29 किता की 42 बीघा 17 बिस्वा है जिसमें जमनी बेवा आशाराम, भंवरी, मीरा, धूली पुत्री आशाराम हिस्सा 1/2, धन्ना वल्द गोपाल

हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2036–39 के अनुसार कुल 17 किता की 20 बीघा 7 बिस्वा आराजी में धूली पुत्री आशाराम, मीरा पुत्री आशाराम, भंवरी पुत्री आशाराम हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबंदी जिसका कि सम्वत पठनीय नहीं है में 17 किता की 20 बीघा 7 बिस्वा आराजी में भंवरी, मीरा पुत्री आशाराम हिस्सा 1/2 दर्ज है । पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न है जिसके अनुसार धूली, भंवरी व मीरा पुत्री आशाराम ने खसरा नम्बर 64 रकबा 6 बिस्वा 500/– रूपये में और धन्ना पुत्र गोपाल के शामलाती खाते की आराजी में से अपने कब्जे एवं हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 16 बीघा 18 बिस्वा और चाह नम्बर 57 का 1/4 हिस्सा, नन्दलाल, रामलाल, रामकिशन, बीरम चन्द को बेचान की है । परन्तु पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजात में से किसी भी दस्तावेज को एक्जीविट नहीं करवाया गया है । पत्रावली प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकामान के कायमी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की गई है और न ही पक्षकारान की साक्ष्य रेकार्ड की गयी है । लोक अदालत में दिनांक 01.07.2016 को पक्षकारान में से प्रतिवादी नम्बर 6 नन्दलाल, प्रतिवादी नम्बर 7 रामलाल, प्रतिवादी नम्बर 8 रामकिशन, प्रतिवादी नम्बर 9 बीरम चन्द उपस्थित हुए हैं, शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । वादीगण भी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा